न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 17 /2021 GCMS No. 2021/
दायरा तिथि : 06.08.2021
फैसला तिथि : 17-8-2021

प्रार्थीनीः–
श्रीमति रेखा कंवर धर्मपत्नि श्री करणसिंहजी जाति राव
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मूलाराम पुत्र मोतीराम जाति जणवा चौधरी
   निवासी गुडा सिरवियान तहसील बाली तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 17-08.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा ग्राम बारवा में उसके द्वारा धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 346/2 रकबा 0.08 हैक्टर की तरमीन नामान्तरकरण संख्या 1124 की जा चुकी थी। जो नामान्तरकरण संख्या 1124 पर नजरी नक्शा में खसरा नबंर 346/1 के दक्षिण दिशा में दर्शाई गई थी।, जिसकी तहसील ऑन लाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान् त्रुटिपुर्ण रूप से कार्यवाही करते हुये ऑनलाईन कम्प्युटराईज्ड नक्शा में मौका स्थिति के विपरित भूलवश खसरा नंबर 346 के पुर्व दिशा की ओर तरमीम कर दी गई। अतः ऑनलाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान् प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम बारवा के खसरा नंबर 346/2 की **त्रुटिपुर्ण तरमीम खसरा नंबर 346 के पुर्व दिशा की** को दुरस्त कर **सही अंकन पुर्वानुसार खसरा नंबर 346/1 के नीचे दक्षिण दिशा में** कम्प्युटराईज्ड नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, बाली ने जांच कर तहसील ऑन लाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान् त्रुटिपुर्ण रूप से हुई कार्यवाही से ऑनलाईन कम्प्युटराईज्ड नक्शा में मौका स्थिति के विपरित भूलवश खसरा नंबर 346 के पुर्व दिशा की ओर तरमीम करना स्वीकार किया गया। तथा ऑनलाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान् प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम बारवा के खसरा नंबर 346/2 की **त्रुटिपुर्ण तरमीम खसरा नंबर 346 के पुर्व दिशा की स्थिति** को दुरस्त कर **सही अंकन पुर्वानुसार खसरा नंबर 346/1 के नीचे दक्षिण दिशा में** कम्प्युटराईज्ड नक्शे नक्शे में भी शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर हितबद्ध पक्षकार खसरा नंबर 346/1 के खातेदार मूलाराम पुत्र मोतीराम जाति जणवा चौधरी निवासी गुडा सिरवियान को तलब किया गया। हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थी संख्या–01 मूलाराम पुत्र मोतीराम ने उपस्थित होकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र से सहमति व्यक्त करते हुये तहसील ऑन लाईन कार्यक्रम के दौरान् कम्प्युटराईज्ड नक्शे में मौका स्थिति के विपरित भूलवश खसरा नंबर 346 के पुर्व दिशा की ओर की तरमीम को दुरस्त कर **सही अंकन पुर्वानुसार खसरा नंबर 346/1 के नीचे दक्षिण दिशा में** तरमीम किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के नियम 166 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार अभिलेख में लेखनी की भूलों को ठीक करने के लिए आज्ञा फर्द बदर पर दी जा सकती है. इस प्रकार चालू जमाबंदी मे हुई लिपिकिय त्रुटि को फर्द बदर के जरिये दुरस्त किया जा सकता है। परन्तु उक्त प्रकरण मे जमाबंदी में त्रुटि न होकर नक्शे में तरमीम में त्रुटि हुई है, वह त्रुटि भी ऑनलाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान ही हुई है, जिसको नियमानुसार राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्ध कर दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं संबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार है। इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार– उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण मे है फिर भी उसके साथ–साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान मे आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। तहसील ऑन लाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान् त्रुटिपुर्ण रूप से ऑनलाईन कम्प्युटराईज्ड नक्शा में मौका स्थिति के विपरित भूलवश खसरा नंबर 346 के पुर्व दिशा की ओर की गई तरमीम को दुरस्ती के माध्यम से **सही अंकन पुर्वानुसार खसरा नंबर 346/1 के नीचे दक्षिण दिशा में** कम्प्युटराईज्ड नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का बारवा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

आदेश आज दिनांक 17-8-2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

Scanned by CamScanner